

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 439 वर्ष 2025

विवियन मिश्रा (अवयस्क) द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती श्वेता मिश्रा एवं अन्य।

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजीव मिश्रा, मूल शंकर मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, धर्मेन्द्र कुमार, नीतेश कुमार पांडे,

निखिल मल्होत्रा

न्यायालय संख्या - 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा और विपक्षी संख्या 5 व 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल मल्होत्रा के तर्कों को सुना गया।
2. कथित रूप से निरोध में रखे गए मास्टर विवियन मिश्रा और सुश्री श्रीनिका मिश्रा को विपक्षी संख्या 5 श्री विजय कांत मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और न्यायालय ने बच्चों से बातचीत की है।
3. यह रिट याचिका कथित रूप से निरोध में रखे गए मास्टर विवियन मिश्रा आयु लगभग 12 वर्ष और सुश्री श्रीनिका मिश्रा आयु लगभग 5 वर्ष की ओर से उनकी माता श्रीमती श्वेता मिश्रा के द्वारा से दाखिल की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बच्चों के पिता विपक्षी संख्या 5 श्री विजय कांत मिश्रा ने बच्चों को नई दिल्ली में अपने पास अवैध निरोध में रखा हुआ है।
4. रिट याचिका में प्रस्तुत किये गए तर्कों के अनुसार बच्चों की माँ अयोध्या में अपने माता-पिता के घर रह रही हैं। यद्यपि रिट याचिका में तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु तारीखों और घटनाओं की सूची में यह बताया गया है कि बच्चों के माता-पिता का विवाह 15.02.2012 को हुआ था, बेटे मास्टर विवियन मिश्रा का जन्म 08.06.2013 को हुआ था और सुश्री श्रीनिका मिश्रा का जन्म 08.06.2020 को हुआ था। दोनों पक्ष अपने बच्चों के साथ लखनऊ में रह रहे थे। फरवरी 2024 में विपक्षी पक्ष संख्या 5 ने अपना कारोबार अयोध्या में स्थानांतरित कर लिया और अप्रैल 2025 में बच्चों को अयोध्या के एक विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। इसके पश्चात 11.06.2025 को बच्चों के पिता उन्हें दिल्ली ले गए और तब से बच्चे अपने पिता के साथ नई दिल्ली में रह रहे हैं।
5. बच्चों ने बताया है कि वे जुलाई 2025 से नई दिल्ली के एक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने पिता के साथ आराम तथा खुशी से रह रहे हैं।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि बच्ची की आयु मात्र 5 वर्ष है, और इसलिए यह बच्ची के हित और कल्याण में होगा कि उसे उसकी माँ की अभिरक्षा में सौंपा जाए।
7. बच्चों की अभिरक्षा एक जटिल मुद्दा है, जिसका निर्णय बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। बच्चों के कल्याण का निर्णय केवल तभी किया जा सकता है, जब दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।
8. **तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी:** (2019) 7 एससीसी 42 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर विभिन्न पूर्व-निर्णयों पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि: -

19. बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही का उद्देश्य अभिरक्षा को सही ठहराना या उसकी वैधता की जांच करना नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चे की अभिरक्षा का प्रकरण न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है, जो एक असाधारण उपचार है; यह रिट मात्र उन्हीं परिस्थितियों में जारी की जाती है, जब किसी विशेष प्रकरण में विधि द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपचार या तो उपलब्ध न हो, या फिर अप्रभावी हो, अन्यथा यह रिट जारी नहीं की जाएगी। बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े प्रकरणों में रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति मात्र उन्हीं प्रकरणों तक सीमित है, जहाँ किसी नाबालिग को ऐसे व्यक्ति द्वारा निरोध में रखा गया हो, जो उसकी विधिक अभिरक्षा का अधिकारी न हो। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के दृष्टिगत, हमारा मत में बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े प्रकरणों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट तभी स्वीकार्य है, जब यह सिद्ध हो जाए कि किसी नाबालिग बच्चे को

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरोध में रखना अवैध था और विधि के किसी भी अधिकार के बिना किया गया था।

बच्चों की कस्टडी (अभिरक्षा) से जुड़े प्रकरणों में सामान्य उपचार मात्र हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत ही उपलब्ध होता है, जैसा भी प्रकरण हो। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही से जुड़े प्रकरणों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्यता: उस क्षेत्र में रहता है, जिस पर न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार प्रयोग करती है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत होने वाली जाँच और रिट न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के मध्य अत्यधिक अंतर होता है, रिट न्यायालय की कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होती है। सबसे आवश्यक बात बच्चे का कल्याण है। रिट न्यायालय में अधिकारों का निर्धारण केवल शपथपत्र के आधार पर किया जाता है। जहाँ न्यायालय को यह लगता है कि विस्तृत जाँच की आवश्यकता है, वहाँ न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना कर सकती है और पक्षकारों को सिविल न्यायालय में जाने का निर्देश दे सकती है। मात्र असाधारण प्रकरणों में ही हैबियस कॉर्पस / बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए नाबालिग की कस्टडी के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा।

9. उपर्युक्त दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया है और इसे **निर्मला बनाम कुलवंत सिंह: (2024) 10 SCC 595** में दोहराया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि: -

"27. ...जहाँ तक किसी नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के प्रकरणों में हैबियस कॉर्पस / बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता का प्रश्न है, इस संबंध

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

में कोई भी कठोर और निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस बात का निर्णय कि क्या रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए या नहीं यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

10. **निर्मला बनाम कुलवंत सिंह** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि: -

29. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्वयं प्रत्यर्थी पिता के प्रकरण के अनुसार इस प्रकरण के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में बच्चे के लिए एक पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता थी विशेष रूप से दादा-दादी की ओर से और यह कि उसने नाबालिग बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) उसकी देखभाल हेतु अपीलकर्ता दादी को सौंपी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें अपीलकर्ता दादी ने नाबालिग बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) अवैध रूप से अपने पास रखी हो। अपितु यह प्रत्यर्थी पिता ही था जिसने नाबालिग बच्चे की कस्टडी (अभिरक्षा) अपीलकर्ता दादी को सौंपी थी।

30. हमारा सुविचारित मत है कि इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। चूंकि इसमें नाबालिग बच्चे के कल्याण और उसकी पसंद सहित एक विस्तृत जांच शामिल होती, इसलिए ऐसी कार्यवाही केवल संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अधीन ही की जा सकती थी।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

31. किसी भी स्थिति में हमारा यह मत है कि 7 वर्ष की कोमल आयु वाले किसी नाबालिग बच्चे को उसके दादा-दादी की कस्टडी (अभिरक्षा) से जिनके साथ वह पिछले लगभग 5 वर्षों से रह रहा है, पृथक होने हेतु विवश करना मनोवैज्ञानिक रूप से परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 5 ने एक नियमित वाद दाखिल किया है।

12. विपक्षी संख्या 5 द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर शपथ पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या 5 ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रोहिणी जिला न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम याचिका संख्या 1170 वर्ष 2025 दाखिल की है।

13. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि याचिकाकर्तागण ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दाखिल की है, जिसमें दिनांक 18.07.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसके द्वारा विवाह-विच्छेद के वाद की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

14. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, मेरा यह मत है कि बच्चे काफी समय से अपने पिता के साथ रह रहे हैं, वे विद्यालय जा रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि वे अपने पिता के साथ आराम से और खुशी-खुशी रह रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे किसी अवैध परिरोध में हैं, जिसके लिए हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) रिट जारी करने की मांग वाली किसी रिट याचिका में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। बच्चों की कस्टडी के अधिकार का निर्णय केवल एक नियमित वाद में ही किया जा सकता है, जिसमें दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

15. तदनुसार यह रिट याचिका खारिज की जाती है, और पक्षकारों को यह छूट दी जाती है कि वे बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित विषय का निर्णय सक्षम न्यायालय से करवा लें।

30 मार्च 2026

प्रदीप/-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”